05

संख्या 1472/VII-2-13/204–उद्योग/2001

प्रेषक,

डा0 अजय कुमार प्रद्योत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

देहरादून : दिनॉक: 27 सितम्बर, 2013

विषयः **वित्तीय वर्ष 2013–14 में खादी वस्त्रों की बिकी पर 108 कार्यकारी दिवसों हेतु 10 प्रतिशत छूट स्वीकृत करने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में खादी वस्त्रों के प्रोत्साहन हेतु राज्य खादी ग्रामोद्योग आयोग तथा उत्तराखण्ड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में उत्पादन तथा बिकी से संलग्न पंजीकृत संस्थाओं को खादी वस्त्रों की स्वयं के उत्पादन की बिकी पर रिबेट योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में दिनांक 02 अक्टूबर, 2013 से 108 कार्यकारी दिवसों के लिए खादी वस्त्रों की बिकी पर 10 प्रतिशत छूट निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:–

1. संस्था को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड द्वारा निर्गत पंजीकृत प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा।
2. संस्थाओं द्वारा रिबेट दावों के साथ खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा स्वीकृत उत्पादन/बिकी का वार्षिक लक्ष्यांक का प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. रिबेट दावों के साथ संगत अवधि का बैंक स्टेटमेन्ट संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
4. इंगित अवधि का प्रारम्भ से अंत तक कच्चे माल तथा उत्पादित माल की स्टाक सूची का विवरण संलग्न किया जाना होगा।
5. इंगित अवधि में बैंक से आहरण एवं जमा की गयी धनराशि को कमशः व्यय एवं स्रोत का विवरण तिथिवार संगत साक्ष्यों सहित प्रस्तुत करना होगा।
6. रिबेट दावों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा इंगित रेंडम मामलों की जॉच निम्नानुसार गठित समिति के माध्यम से किया जायेगा:–
   1–जिला प्रशासन के प्रतिनिधि (उप जिलाधिकारी)।
   2–मंहा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।
   3–जिला ग्रामोद्योग अधिकारी।
7. गठित समिति द्वारा रिवेट अवधि में एक बार संस्थाओं के रसीद बुक, स्टाक बुक, बैंक स्टेटमेंट एवं वास्तविक उपलब्ध कच्चा माल, तैयार माल का भी संज्ञान लिया जायेगा।
8. कतिपय रेंडम आधार पर चयनित दावों का परीक्षण अपर/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के स्तर पर भी किया जाएगा।
9. संस्थाओं के रिबेट दावों के सापेक्ष उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 40 प्रतिशत उत्पादित सामान की आपूर्ति किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–2926/VII-II-08/2004–उद्योग/01 दिनांक 3.11.2008 के निर्देश यथावत लागू माने जायेंगे।
10. संस्था को बैंक/खादी और ग्रामोद्योग आयोग से वित्त पोषित होने का साक्ष्य भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
11. संस्थाओं को खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के0वी0आई0सी0) से विपणन विकास सहायता (एम0डी0ए0) में जितनी सहायता प्राप्त हुई है, उसी आधार पर उत्पादन की मात्रा का सत्यापन किया जायेगा।

2. उक्त छूट हेतु राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एवं राज्य सरकार/उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(डा0 अजय कुमार प्रद्योत)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1472/ VII-2-13/204–उद्योग/2001, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, इरला रोड़ विले पारले, पश्चिमी मुम्बई–56
3. निदेशक, राज्य खादी ग्रामोद्योग आयोग देहरादून।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग–2
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(किशन नाथ)
अपर सचिव।